मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 830/सी०आर० 423/I(3)/72 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 1972

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः- शासकीय सेवकों का विदेशी मिशनों/विदेशी सांस्कृतिक संगठनों / विदेशी नागरिकों से संपर्क रखने के संबंध में अनुदेश ।

=*=

शासकीय सेवकों को भारत स्थित विदेशी मिशनों/विदेशी संवाद दाताओं/ विदेशी सांस्कृतिक संगठनों तथा विदेशी नागरिकों से संपर्क स्थापित करते समय निम्नलिखित हिदायतों का पालन करना नितांत आवश्यक है । इन अनुदेशों के उल्लंघन करने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायगी । अतः, आप अपने अधीनस्थ सभी शासकीय सेवकों को इससे अवगत कराने की कृपा करें :-

1- सामान्य संपर्क :

अधिकारियों को विदेशी संवाददाताओं, विदेशी मिशनों/ संगठनों के सदस्यों तथा भारत में स्थित अन्य विदेशी व्यक्तियों से अपने संपर्क के संबंध में अत्यधिक विवेक तथा बुद्धि से काम लेना चाहिए । उन्हें सतर्कतापूर्वक ऐसी किसी भी बातचीत से बचना चाहिए, जिससे अनजाने में भी गोपनीय विषयों की जानकारी के प्रकट होने की संभावना हो । इन्हें, विदेशी व्यक्तियों को या विदेशी मिशनों में नियोजित भारतीय व्यक्तियों को अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए तथा उनका, विशेषतः अनौपचारिक स्वरूप का आतिथ्य अविचारपूर्ण ढंग से तथा बारबार स्वीकार नहीं करना चाहिए । इस प्रकार के अत्यधिक आतिथ्य से अतिथि, आतिथ्य के प्रति अनुग्रहीत हो सकता है और इससे अन्य लोगों की दृष्टि में उसके अपने कर्तव्यों के निष्पक्ष तथा न्यायसम्मत निष्पादन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो सकता है ।

2- निजी पत्र- व्यवहार :

विदेशी दूतावासों /मिशनों /हाई कमीशनों से निजी पत्र व्यवहार करने से बचना चाहिए । उसी प्रकार शासकीय स्वरूप के विषयों पर, भारत में स्थित विदेशी मिशनों से सीधे निजी या वैयक्तिक पत्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए ।

=2=

3- उपहार

विदेशी राष्ट्रों/विदेशी मिशनों के सदस्यों से उपहारों का आदान-प्रदान करते समय या उनसे विदेशी वस्तुएँ लेते समय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संगत उपबन्धों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और जहाँ कहीं नियमों के अधीन आवश्यक हो वहाँ पूर्वानुमति ले लेनी चाहिए । यह बात उल्लेखनीय है कि इस देश में, विदेशी मुद्रा विनियमों में यथा-उपबंधित स्थिति को छोड़ अन्यथा विदेशी मुद्रा लाना अवैध है ।

4- राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोहों में उपस्थिति :

अधिकारीगण विदेशी मिशनों के राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोहों में शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद ही उपस्थित होंगे ।

5- आमंत्रण / आतिथ्य स्वीकार करना :

(एक) अधिकारीगणों को सामान्यतः केवल उसी स्थिति में विदेशी राजनयिकों के औपचारिक तथा अनौपचारिक आमंत्रण स्वीकार करने चाहिए, जबकि आमंत्रण उन्हें उन्हीं के दर्जे के या उनसे ऊँचे दर्जे के राजनयिक अधिकारी से प्राप्त हो ।

(दो) अवर सचिव तथा उप सचिव की श्रेणी के तथा समतुल्य श्रेणी के अधिकारियों को किसी भी प्रकार का आमंत्रण संबंधित सचिव से पूर्व तथा विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए ।

6- शासकीय तथा सामाजिक भेंट:

अधिकारीगण, अन्य देशों के मिशनों /वाणिज्य - दूतावासों के प्रधानों या उनके सदस्यों से शासकीय अथवा सामाजिक भेंट करने की पहल नहीं करेंगे ।

(2) अधिकारियों को विशिष्ट रूप से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अन्य देशों के प्रतिनिधियों से उनका संपर्क उनके समुचित शासकीय स्तर तक ही सीमित है ।

7- सामाजिक समारोहों में बातचीत की रिपोर्ट:

ऐसे सभी अधिकारी, जो विदेशी राजनयिकों/ विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों से सामाजिक समारोहों में उपस्थित होने का आमंत्रण स्वीकार करते है या जिन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, ऐसे अवसरों पर शासन के हित तथा महत्व के विषयों पर राजनयिकों/ विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई किसी बातचीत की रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देंगे ।

8- विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों से प्राप्त आतिथ्य के बदले आतिथ्य:

यह तथ्य सर्वविदित है कि राजनयिकों को स्थानीय अधिकारियों का आदर सत्कार करने के लिए विशेष रूप से धन दिया जाता है किन्तु स्थानीय अधिकारी की उसके बदले में उनका आतिथ्य सत्कार करने की क्षमता सीमित होती है। अतः राजनयिकों और स्थानीय अधिकारियों के बीच आदर - सत्कार के मामले में बराबरी की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है ।

9- मिशनों / वाणिज्य दूतावासों के सदस्यों तथा अन्य देशों के राष्ट्रकों को जानकारी देना :

विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों या उनके सदस्यों या विदेशी राष्ट्रकों को जानकारी प्रदान करना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है । यह कार्य प्रत्यक्षतः या किसी अधिकारी द्वारा स्वयं होकर नहीं किया जाना चाहिए । कनिष्ठ अधिकारियों को विदेशी मिशनों/दूतावासों के वैयक्तिक सहायकों तथा सचिवों से संपर्क नहीं रखना चाहिए । किसी भी अधिकारी को किसी भी कारण से विदेशी मिशनों/वाणिज्य दूतावासों के कनिष्ठ राजनयिक कर्मचारियों से शासन के लिखित अनुमोदन के बिना, संपर्क नहीं रखना चाहिए ।

10- विदेशी राष्ट्रकों के साथ अतिथियों के रूप में रहना तथा ठहरना:

(क) अधिकारियों को, भारत में स्थित विदेशी राजनयिकों या विदेशी राष्ट्रकों के साथ अतिथि के रूप में नहीं ठहरना चाहिए । तथापि, वे शासन की अनुमति से, विदेश में विदेशी राजनयिकों या विदेशी राष्ट्रकों के साथ ठहर सकते हैं ।

(ख) अधिकारियों को भारत में विदेशी राजनयिकों को अतिथि के रूप में अपने साथ ठहरने का आमंत्रण नहीं देना चाहिए ।

11- अधिकारियों की पत्नियों/आश्रितों का नियोजन :

ऐसे अधिकारी को , जिसकी पत्नी या जिसका आश्रित भारत में स्थित किसी विदेशी मिशन या किसी विदेशी संगठन (वाणिज्यिक उपक्रम सहित) के अधीन नौकरी प्राप्त करना चाहता हो, अनुमति के लिए शासन को आवेदन करना चाहिए।

12- भारत स्थित विदेशी दूतावास के या विदेशी शासन के वायुयान में अनुग्रह के रूप में स्थान (लिफ्ट) प्राप्त करना :

किसी भी अधिकारी को किसी विदेशी मिशन/शासन या संगठन से न तो यात्रा व्यय स्वीकार करना चाहिए और न ही निःशुल्क हवाई यात्रा स्वीकार करना

चाहिए और न ही अपनी पत्नी या आश्रितों को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए । ऐसे आपवादिक मामलों को, जो मानवतावादी या अनुकंपात्मक परिस्थितियों पर आधारित हों, अनुमति के लिए शासन को रिफर किया जाना चाहिए ।

इस नियम में केवल भारत सरकार और किसी विदेशी शासन या संगठनों के बीच हुए और अभी भी प्रवृत्त विशिष्ट करारों या समझौतों के अन्तर्गत आने वाले मामलों में ही छूट दी जा सकेगी । विदेश यात्राओं के आमंत्रणों के संबंध में, जो केवल परराष्ट्र मंत्रालय के परामर्श के बाद ही स्वीकार किये जा सकेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में परम्परा यह है कि विदेशी शासनों द्वारा किया जाने वाला स्थानीय आतिथ्य तो आतिथेय से स्वीकार किया जा सकेगा किन्तु यात्रा-व्यय स्वीकार नहीं किया जा सकेगा और यह भी कि ऐसा आतिथ्य अशासकीय संस्थाओं, संगठनों, प्रायवेट पार्टियों आदि से स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

तथापि, ऐसे अधिकारियों के मामले में यात्रा व्यय स्वीकार करने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी, जिन्हें विदेशी शासनों तथा संगठनों द्वारा सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाये और ऐसा निमंत्रण किसी विशिष्ट अधिकारी को उसके नाम से तथा उसकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने की दृष्टि से दिया जाये । ऐसे अन्य मामलों में, जिनमें सम्मेलनों आदि में भाग लेना सम्बन्धित अधिकारी या उसकी प्रतिनियुक्ति के प्रवर्तक विभाग के हित में वांछनीय समझा जाये, यात्रा व्यय प्रवर्तक विभाग द्वारा दिया जाता रहना चाहिए ।

कोई अधिकारी विदेश के भीतर ही अपने शासकीय कार्यों के संबंध में निःशुल्क हवाई यात्रा स्वीकार कर सकता है । जब कोई अधिकारी तथा उसका परिवार विदेश में राजकीय अतिथि के रूप में हो तो उन्हें विदेशी शासन से निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति होगी ।

13- <u>विदेशी राष्ट्रों को पट्टे द्वारा अचल सम्पत्ति का व्ययनः</u>

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(2) के अधीन, कोई भी अधिकारी, शासन की पूर्व जानकारी के बिना अपने स्वयं के नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक, क्रय, विक्रय अथवा उपहार द्वारा या अन्यथा किसी भी अचल सम्पत्ति को न तो अर्जित करेगा और न ही उसका व्ययन करेगा, परन्तु यदि ऐसा लेनदेन उस अधिकारी से शासकीय संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति से हो या नियमित अथवा प्रतिष्ठित विक्रेता की मार्फत न होकर अन्यथा किया जाये तो अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जायेगी । इस नियम के अन्तर्गत आने वाले "पट्टा" शब्द के अंतर्गत लिखित अथवा मौखिक करार द्वारा अल्पावधि के लिए अथवा दीर्घावधि के लिए भाड़े पर आवास व्यवस्था प्रदान

प्रदान करना अंतर्निहित है । यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अचल सम्पत्तियों के ऐसे लेन देनों के संबंध में, जिसमें विदेशी राष्ट्रिकों/ विदेशी मिशनों के सदस्यों / विदेशी मिशन द्वारा नियंत्रित अथवा उनसे संबद्ध संगठनों के सदस्यों के साथ, उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार किया गया "पट्टा" सम्मिलित है, यथारीति, पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

14 विदेशी भाषा की कक्षाओं में प्रवेश लेना :-

ऐसे अधिकारियों को, जो भारत में स्थित विदेशी मिशनों तथा दूतावासों अथवा विदेशी मिशनों द्वारा नियंत्रित या उनसे संबद्ध संगठनों या भारतीय-विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों द्वारा संचालित विदेशी भाषाओं की कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहते है, शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए ।

15- भारतीय- विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों के साथ अधिकारियों की संबद्धता:-

शासन की अनुमति के बिना अधिकारियों को भारतीय - विदेशीय सांस्कृतिक संगठनों का न तो सदस्य होना चाहिए और न ही उनकी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना चाहिए ।

2/ प्रशासकीय विभाग अपने अधीन सभी राजपत्रित अधिकारियों से इस अनुदेश की प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजने को कहें ।

19/12

(यु० वि० गर्दे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क्रमांक 831 /सी०आर० 423/1(3)/72 भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 1972

प्रतिलिपि:-

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इन्दौर
निबंधक, उच्चन्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल

- -

2- राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

- -

3- अवर सचिव(स्थापना) / अवर सचिव (अधीक्षण) / लेखा अधिकारी, मध्यप्रदेश
सचिवालय, भोपाल

4- मुख्य मंत्री/ समस्त मंत्रिगण/ समस्त राज्य मंत्रिगण / समस्त उप मंत्रिगण
के निज सचिव / निज सहायक

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

5- अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, 93/19 (1250 क्वार्टर्स)
भोपाल (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)

6- प्रान्ताध्यक्ष, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, भोपाल
(पन्द्रह अतिरिक्त प्रतियों सहित)

7- प्रान्ताध्यक्ष, लघुवेतन कर्मचारी संघ, भोपाल (चार अतिरिक्त प्रतियों सहित)

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

[signature] 15/12

उप सचिव.

::श्रीवास::